

अनन्ति नियुक्ति आदेश
(Provisional Appointment Order)

राजस्थान लोक सेवा आयोग की अभिस्तावना पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य चित्रकला के पद पर उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित राजकीय महाविद्यालय में अनन्ति (Provisional) नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.म.	अभ्यर्थी का नाम (डॉ./ श्री/ सुश्री), पिता/ पति का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्मतिथि	त्रेणी	अभ्यर्थी का फोटो	पदस्थापन स्थान (राजकीय महाविद्यालय)
1	राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी शर्मा मकान नम्बर EL-14, ब्लॉक-12, ग्रामीण पुलिस लाईन के पास, देवाशीष सिटी, बोरखेड़ा, कोटा – 324001	M-1	25-07-1980	GE, RG	 21.04.2022	अन्ता
2	चानन मल पुत्र श्री राम लाल गांव खरसण्डी, पो.ओ.ललानियाँ, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़–335523	M-2	01-08-1995	BC, NG		नदबई
3	जाकिर खान पुत्र श्री अस्यूब खान 130, संजय नगर-बी, सामुदायिक भवन के सामने, के. के.स्ट्रीट, झोटवाडा, जयपुर–302012	M-3	08-08-1995	GE		भरतपुर कन्या
4	महेश कुमार कुमावत पुत्र श्री बृजमोहन, मित्र निवास के पीछे, आवासीय कॉलोनी, शिवाजी नगर, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर–305801	M-4	23-11-1984	BC, RG		पिण्डवाडा
5	कनक शर्मा पुत्र श्री रूपकिशोर शर्मा ग्राम व पोस्ट मुखारा, पं.स.सेवर, तहसील भरतपुर, जिला भरतपुर–321026	M-5	13-11-1995	GE, WE, EWS		किशनपोल कन्या

RajKo Ref

5948275

6	महेन्द्र कुमार मीणा, पुत्र श्री रमेश चन्द्र मीणा, ग्राम बहादुरपुरा, पो.माटून्दा, तह. व जिला बून्दी—323001	M-7	25—10—1991	ST, RG		सांगोद
7	सतीश शर्मा, पुत्र श्री पुरुषोत्तम शर्मा, चारभुजा मंदिर के पीछे, लड़ोलिया पाडा, बून्दी—323001	M-8	23—06—1983	GE, RG, EWS		नगर (भरतपुर)
8	ध्रुव, पुत्र श्री कलवन्त राय, 3 ई, छोटी गली नम्बर 9, मकान नम्बर 15, पोस्ट 2ML, ग्राम नाथांवाली, SSB Road, श्रीगंगानगर—335001	M-9	04—04—1983	GE, LV, RG		बीदासर

1. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को 02 वर्ष तक परिवीक्षा काल के लिए कार्यग्रहण तिथि से वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.9(1)FD(Rules)/2018 दिनांक 26.09.2018 के अनुसार मासिक रिथर परिलाभ रूपये 40000/- प्रतिमाह देय होगा। यह परिलाभ माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई SI.P 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षा काल को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जावेगा। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
3. परिवीक्षा काल में रिथर परिलाभों में से जी.पी.एफ. की कटौती सम्बन्धित सेवा नियमों और राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अनुसार रहेगी।
4. उक्त अभ्यर्थियों का कार्य एवं आवरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर सांतोषप्रद नहीं पाया गया तो उसे विना किरणी क्षतिपूर्ति के सेवा रो किरणी भी समय विमुक्ति किया जा सकेगा।
5. दो वर्ष का परिवीक्षा काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें वित्त (नियम अनुभाग) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.9(1)FD(Rules)/2018 दिनांक 26.09.2018 के नियम 13 अनुसूची-II के अनुसार सहायक आचार्य पद हेतु देय वेतनमान (15600—39100) ग्रेड पे 6000 (AI.-10) देय होगा तथा सफलता पूर्वक परिवीक्षा की समाप्ति पर इनका उक्त वेतन लेवल में न्यूनतम मूल वेतन रूपये 57700/- प्रतिमाह निर्धारित किया जायेगा।
6. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेश/दिशा निर्देश लागू होंगे।
7. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्मिक विभाग राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी संतान सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।
8. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।
9. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Rajasthan
5948275

10. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं रवारथ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ15(1)डीओपी/ए- ।।/74 दिनांक 01.01.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वारथ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।
11. उपर्युक्त अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन नहीं किया गया है। यह अनन्तिम (Provisional) नियुक्ति कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(5)DOP / A-2/17 दिनांक 15.05.2018 की पालना में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत Attestation Form के आधार पर जारी की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा Attestation Form में अंकित कोई सूचना गलत पाये जाने पर अथवा अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववर्ती सत्यापन उचित नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अनन्तिम नियुक्ति निरस्त की जायेगी तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक/दीवानी/विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा वह अभ्यर्थी अन्य किसी राजकीय नियुक्ति हेतु भी पात्र नहीं माना जायेगा।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भर्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उपित गाध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर सकेगी।
14. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वहीं है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हे राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात रवीकार किया गया है।
15. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
16. उक्त अभ्यर्थियों को पूर्व की किसी भी प्रकार की सेवा के आधार पर अनुभव तथा योग्यताओं का लाभ देय नहीं होगा जिसमें सी.ए.एस. भी सम्मिलित है।
17. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को **दिनांक 26.03.2024** तक आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए, उक्त तिथि के पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जावेगा और उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ1(23-01)RPSC / Appt / HRD / 2022 / 903

दिनांक: 06 मार्च 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ.7(7)(16) भर्ती / A.P./Coll. Edu. / 2018-19 / 304 दिनांक 04.11.2022 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
5948275

4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्बन्धित प्राचार्य— कृपया उपर्युक्त अभ्यर्थी के समर्त दस्तावेजों की मूल प्रमाण पत्रों से जाँच करें। अभ्यर्थी से दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति तथा स्वारथ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करे। उपर्युक्त कार्यवाही के पश्चात कार्यभार ग्रहण करावें।
6. सम्बन्धित जिले के अधीक्षक, विकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वारथ्य अधिकारी — कृपया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ15 (1) डी.ओ.पी./ए-11/1974 दिनांक 01.01.1975 के अनुसार अभ्यर्थी से जॉच हेतु निर्धारित शुल्क प्राप्त कर इनके स्वारथ्य का परीक्षण कर रवारथ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, को प्रेषित कर इस कार्यालय को भी सूचित करने का श्रम करें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी — कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने गृह जिला अथवा जिले में पदस्थापन किया गया है उस सम्बन्धित जिले के अधीक्षक, विकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वारथ्य अधिकारी से स्वारथ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करें।
8. स्थापना शाखा — सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र, एवं मूल शपथ पत्र सहित।
9. कार्मिक शाखा/गोपनीय शाखा/कम्प्यूटर शाखा/रक्षित पत्रावली।
10. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5948275

Page 4 of 4

Document certified by Harsh Sawansukha
<Harhsawansukha@yahoo.com>.

Digitally Signed by Harsh Sawan
Sukha
Designation : Joint Secretary To
Government
Date : 06-03-2024 02:04:11